

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक..... /  
03/उ0नि0/योजना(IITF-13)-12/13

पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर 2017 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली के आयोजन पर वास्तविक व्यय ₹58,32,898.00 (अनठावन लाख बत्तीस हजार आठ सौ अनठानवे रुपये) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश :-** स्वीकृत।

प्रत्येक वर्ष की भाँति वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर 2017 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जिसमें राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग द्वारा उक्त मेला में (14-27 नवम्बर 2017 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली में भाग लिया गया। जिसका कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना को नामित किया गया।

(2) उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना के पत्रांक-340, दिनांक-13.03.18 द्वारा प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के अनुसार ₹30,72,625.00 (तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ पच्चीस रुपये) मात्र तथा उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा भारतीय ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली को विभिन्न मदों में शुल्क के भुगतान हेतु कुल ₹27,60,273.00 (सताईस लाख साठ हजार दो सौ तिहत्तर रुपये) मात्र का व्यय किया गया है। अतएव उक्त मेला/आयोजन पर वास्तविक व्यय का कुल योग ₹58,32,898.00 (अनठावन लाख बत्तीस हजार आठ सौ अनठानवे रुपये) है। जिसका समायोजन किया जाना है।

अतः राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (14-27 नवम्बर 2017 तक), प्रगति मैदान नई दिल्ली के आयोजन पर वास्तविक व्यय ₹58,32,898.00 (अनठावन लाख बत्तीस हजार आठ सौ अनठानवे रुपये) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के प्रदान की जाती है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 0101.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध से विकलनीय होगा। जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(4) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से राशि की निकासी कर ₹27,60,273.00 (सताईस लाख साठ हजार दो सौ तिहत्तर रुपये) मात्र को उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड (06379), पटना के चालू खाता सं०-31599798732 में तथा शेष राशि ₹30,72,625.00 (तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ पच्चीस रुपये) निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना को आर०टी०जी०एस०/बैंक ड्राफ्ट के रूप में करायेगें। राशि की निकासी फार्म-बी०टी०सी०-25 पर की जायेगी।

(5) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना हैं।

(6) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा वास्तविक व्यय प्रतिवेदन में विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

(7) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं०-०३/उ०नि०/योजना(IITF-13)-12/13 के पृष्ठ-84/टि० पर प्राप्त है।

(8) यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

(9) वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि०(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना (IITF-13)-12/13

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना (IITF-13)-12/13

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना (IITF-13)-12/13

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु० संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...16.03.18

ज्ञापांक...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना (IITF-13)-12/13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना)उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ०नि०), को तीन प्रतियों में/प्रशाखा-1, योजना (सरकार) को पाँच प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।